

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्र./का.वि./शैक्षणिक/2017-18/ 1448

दिनांक: 28/8/2017

मात्स्यकी महाविद्यालय (छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय) कवर्धा में बी.एफ.एस.सी. स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 की प्रथम काउंसिलिंग एवं प्रवेश के प्रथम चरण की सूचना :-

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) के अन्तर्गत संचालित मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा में बी.एफ. एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु प्रथम काउंसिलिंग के प्रथम चरण में प्रवेश राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017 की प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा। नीट 2017 की प्रावीण्यता सूची के छत्तीसगढ़ निवासी अभ्यर्थी जो उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हो निम्नानुसार मात्स्यकी महाविद्यालय पुरानी कृषि उपज मण्डी परिसर, बस स्टैण्ड के पास कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में समस्त दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करावें। पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग की जावेगी, जिसमें स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

काउंसिलिंग पंजियन	वर्ग/प्रवर्ग (केवल छत्तीसगढ़ के निवासी)	नीट 2017 की सम्पूर्ण भारत की प्रावीण्यता सूची
06/09/2017 (प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक)	खुली स्पर्धा, सामान्य/ अनारक्षित/अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मछुवारा	1 से 2,50,000
11/09/2017(प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक)		1 से 3,50,000
18/09/2017(प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक)		1 से 5,00,000

प्रवेशित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयीन शुल्क उसी दिन जमा करना होगा। अन्य समस्त जानकारी सीटों की उपलब्धता एवं प्रमाण पत्रों के प्रारूप छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cgkv.ac.in पर उपलब्ध हैं।

Amal
(कुलसचिव)



छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

क्र. का.वि./शैक्ष./2017-18/ 1008

दिनांक: 28/08/2017

मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा (छ0ग0) में बी.एफ.एस.सी. सत्र 2017-18 प्रवेश के लिए प्रथम काउंसिलिंग एवं प्रवेश के प्रथम चरण की सूचना।

मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा में बी.एफ.एस-सी. के प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 के लिये उपलब्ध सीटें निम्नानुसार हैं:-

खुली स्पर्धा (ओ.सी) अनारक्षित सामान्य 19					अनु.जनजाति (एस.टी.) 14			अनु. जाति (एस.सी.) 05		अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) (कीमीलेयर को छोड़कर) 06		योग 44						महायोग
X	F	FF	S	D	X	F	K	X	F	X	F	X	F	K	FF	S	D	
10	6	1	1	1	8	4	2	3	2	4	2	25	14	2	1	1	1	44
मछुआरा वर्ग के लिए																		05
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.)																		09
विभागीय कोटा (छ.ग.शासन मत्स्य पालन विभाग) में कार्यरत व्यक्तियों के लिए																		02
महायोग (44+5+09+02)																		60

वर्ग F= महिला, K= कृषक, FF= स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X= इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग/D दिव्यांग के लिए। (विभागीय कोटा में विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही अनुशासित होंगे तथा अनुशासित अभ्यर्थियों को प्रवे I नियम - 4, 5, 6 एवं 9 बंधनकारी होंगे)

राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017 की प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग का कार्यक्रम निम्नानुसार है:

काउंसिलिंग स्थल:-मात्स्यकी महाविद्यालय, पुरानी कृषि उपज मण्डी परिसर, बस स्टैण्ड के पास, कवर्धा (छ.ग.)

काउंसिलिंग दिन एवं समय	कार्य विवरण	श्रेणी एवं वर्ग/प्रवर्ग (नीट मेरिट)
दिनांक 06/09/2017 (बुधवार) प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक।	पंजीयन आवेदन पत्र की बिक्री।	नीट 2017 मेरिट में केवल छत्तीसगढ़ निवासी सभी वर्ग/प्रवर्ग के 2,50,000 तक रैंक के अभ्यर्थी
समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।	पंजीयन आवेदन पत्र जमा करना।	
सायं 05:00 बजे।	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन।	
07/09/2017 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से	प्रावीण्यता के आधार पर दिनांक 06/09/2017 (बुधवार) को पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जावेगी।	नीट 2017 मेरिट में केवल छत्तीसगढ़ निवासी सभी वर्ग/प्रवर्ग के 3,50,000 तक रैंक के अभ्यर्थी
दिनांक 11/09/2017 (सोमवार) प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक।	शेष बची सीटों हेतु पंजीयन आवेदन पत्र की बिक्री।	
समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।	पंजीयन आवेदन पत्र जमा करना।	
सायं 05:00 बजे।	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन।	
12/09/2017 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से	प्रावीण्यता के आधार पर दिनांक 11/09/2017 (सोमवार) को पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जावेगी।	नीट 2017 मेरिट में केवल छत्तीसगढ़ निवासी सभी वर्ग/प्रवर्ग के 5,00,000 तक रैंक के अभ्यर्थी
दिनांक 18/09/2017 (सोमवार) प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक।	शेष बची सीटों हेतु पंजीयन आवेदन पत्र की बिक्री।	
समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।	पंजीयन आवेदन पत्र जमा करना।	
सायं 05:00 बजे।	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन।	
19/09/2017 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से	प्रावीण्यता के आधार पर दिनांक 18/09/2017 (सोमवार) को पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जावेगी।	

KR

काउंसिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 10+2 की बारहवीं कक्षा में भौतिक रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय सहित कुल प्राप्तांक न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के छात्रों को 10+2 में कुल प्राप्तांक न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है किन्तु **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017** में न्यूनतम प्राप्तांक का बंधन नहीं होगा।
2. केवल उपस्थिति दर्ज किये गये प्रत्याशियों को **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017** में प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा।
3. काउंसिलिंग (प्रवेश) में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को समय पर उपस्थिति देना होगा। काउंसिलिंग समय, तिथि एवं स्थान का ध्यान रखें। समय पर उपस्थिति दर्ज न होने पर प्रावीण्यता पर अगली रैंक के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी को रु. 500/- तथा अनु.जाति, अनु.जन.जाति को रु. 300/- काउंसिलिंग फीस जमा कर पंजीयन कराना होगा।
4. काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017** की अंकसूची (2) 12वीं की अंकसूची (3) 10वीं की अंकसूची (4) छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र (5) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) (6) आय प्रमाण पत्र (7) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) (8) यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) महाविद्यालय का है तो प्रवजनन (Migration) प्रमाण पत्र (9) शिक्षा में अन्तराल (गैप) होने की दशा में नोटरी से अभिप्रमाणित शपथ पत्र (10) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (11) स्वयं के 03 पासपोर्ट साईज के फोटो (नवीनतम) एवं (12) सक्षम संस्था से दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (13) जाति सत्यापन (14) निश्चित प्रारूप में कृषक एवं मछुवारा प्रमाण पत्र (प्रारूप से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)।
5. **बी.एफ.एस.सी. प्रवेश-नियम-2017** बंधनकारी होंगे। प्रत्याशियों को महाविद्यालय द्वारा पृथक से बुलावा पत्र (Call letter) नहीं भेजा जावेगा। योग्य अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकता है।
6. अस्थाई सीट आबंटन के पश्चात् प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान या तत्पश्चात् कभी भी प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर आबंटन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा गलत जानकारी देने/सही जानकारी छुपाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. **शुल्क विवरण-** प्रति सेमेस्टर गैर छात्रावासी : को रु. 13,500/- एवं छात्रवासी: को रु. 19,907/- सीट आबंटन होते ही जमा करना होगा। शुल्क जमा न करने पर प्रावीण्यता पर अगली रैंक के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा। उक्त शुल्क के अतिरिक्त नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिये रु. 150/- तथा एस.सी. एवं एस.टी. के लिये रु. 40/- देय होगा।
8. छात्रावास में सीट उपलब्ध नहीं होने से यह सुविधा नहीं दी जा सकेगी।
9. किसी शंका समाधान हेतु अधिष्ठाता, मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा से दूरभाष क्र. 07741-232066 पर कार्यालयीन समय 10:00 से 5:00 तक संपर्क कर सकते हैं।
10. विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.cgkv.ac.in पर काउंसिलिंग सीटों की उपलब्धता एवं प्रमाण पत्रों के प्रारूपों की विस्तृत सूचना देखें।
11. किसी भी तरह के वाद-विवाद होने पर विश्वविद्यालयीन काउंसिलिंग एवं प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।




कुलसचिव

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

कमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी निवासी.....
 तहसील..... व जिला छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि
 वह --

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।
2. (क) वह

अथवा

- (ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

- (ग) उसके पालकों में से कोई जीवित नहो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)
 छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

- (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

- (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

- (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात्

- (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा
- (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा
- (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा.

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ग) छत्तीसगढ़ में संबैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी / कर्मचारी उनकी पत्नी/पति अथवा संतान

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर-----

पदनाम एवं सील

प्रमाणपत्रों के प्रारम्भ

प्रारूप - 1

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रगकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री.....पिता/पति का नाम.....
.....गाँव / नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.सं.....
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/जनजाति
का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन
छत्तीसगढ़ राज्य के संघ में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया
है और यह.....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संशोधन
अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित
है अतः श्री / सुश्रीपिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/
जनजाति का / की है।
- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

- अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
- केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद् / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये
न कि अन्यथा के अभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के दस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप -8

कार्यरत मछुआरा प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम.....
.....के माता - पिता/ श्री/श्रीमती
..... वास्तविक कार्यरत स्थाई मछुआरा है उनके पास
हेक्टियर.....गांव.....तहसील.....जिला.....
..... राज्य छत्तीसगढ़ में है ।

ये कार्यरत वास्तविक मछुआरा है तथा इनकी जीविका पूर्णतः मछुआरा कार्य पर निर्भर है तथा इसके अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है ।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

श्री/श्रीमती/कुमारीनें 5वीं,8वीं,10वीं, एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शाळाओं में किया/ अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाएँ ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है :-

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 5वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12 वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान

दिनांक:.....

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

प्रमाणपत्रों के तारखे

प्रकार -1

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रगकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री.....पिता/पति का नाम.....
.....नगरी ग्राम / नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/ जनजाति
का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन
छत्तीसगढ़ राज्य के संघ में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया
है और यह.....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संशोधन
अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित
है अतः श्री / सुश्रीपिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/
जनजाति का / की है ।
- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये..... है ।

दिनांक -

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

- अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
- केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे । (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार/तहसील प्रशासक / अधिकारी, वृहद् / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अप्यर्थों के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही सीनीय निकायों के दस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

प्रारूप -9

न्यायालय तहसीलदार.....जिला.....
(छत्तीसगढ़)

// आय प्रमाण पत्र //

पूर्ण जानकारी के अनुसार यह प्रमाणित करत हूं कि

1. श्री/श्रीमती/कु.....पुत्र /पुत्री पत्नी.....
..... का स्थायी निवासी.....
..... तहसील..... जिला..... छत्तीसगढ़ का है।
2. श्री/श्रीमती/कु..... का है और उसकी उपजाति.....
..... सरका धर्म..... है।
3. छात्र / छात्रा के पिता/माता/अभिभावक श्री.....
..... आत्मज श्री.....
छात्र/छात्रा की अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्रोतों से वार्षिक
आय शब्दों में.....
रूपये है ।

सीना

दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट:

1. पिता/माता/पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आयदनी दर्शायी जाये।
2. यह प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिषण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है। अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सहाय अधिकारी को सलाह दी जाती है कि यथाचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी
का नाम) श्री / सुश्री.....
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के / की वैध संतान है। जो श्री / सुश्री

.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला

.....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में
क्रमांकपर पंजीकृत है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्योन स्तर का राजस्व अधिक्तादी
पदनाम एवं सील



प्रारूप --4

जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री / सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित है ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा).....

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप -3

कार्यरत किसान प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम.....
के माता - पिता/ श्री/श्रीमती
 वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान उनके पासहेबट्टेयर.....
 गांव.....तहसील.....जिला.....
 राज्य छत्तीसगढ़ में है ।

ये कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है ।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

श्री/श्रीमती/कुमारीने 5वीं,8वीं,10वीं, एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न स्खालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केंद्रों से उत्तीर्ण की है :-

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 5वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12 वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :

दिनांक.....

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

प्रारूप -6 (बी)
सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती
(अभ्यर्थी के पिता/ माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/श्री
.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो
उसे काट दे) है वह थल सेना / वायुसेना/नवसेना मेंओहदे पर सर्विस
कर्मिक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा
.....इकाई में पदस्थ है। वे इस इकाई में दिनांकसे
सेवारत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हरताक्षर एवं पद मुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिंग-आफिसर

